

# फर्द अहकाम

कैलाश बनाम गंगा देवी वगै०

संख्या 227/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.07.2024	<p>वकील वादीगण ने दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निपेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थाई निपेधाज्ञा का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 14/8/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	
14/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश हों।</p>	
23/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/9/24 को पेश हों।</p>	
20/9/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी के अधिवक्ता अलग-अलग न्यायालय वादी व वादी के अधिवक्ता अलग-अलग वादी को पत्र भेजकर एग्रीमेंट अलग प्रैक्टिस में खतरा किया जा रहा है। पत्रावली सभी न्याय के पत्र होकर कोर्टल अलग ही पत्रावली बाबत अकालीन दायित्व प्रस्त र ही।</p>	

**उपखण्ड अधिकारी**  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

